

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या ॥८ /XXIII/2016/04(01)2016
देहरादून दिनांक: २५ फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलित एवं उपान्तरित आदेश, 2002 की धारा 40 सपष्टित धारा 21 उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या: 1 सन् 1904) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों/आदेशों को अधिकमित करके उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :—

देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से कुल प्राप्त राजस्व (वर्ष 2015–16 में निर्धारित राजस्व व अतिरिक्त उठान पर प्राप्त एम०जी०डी० (माह फरवरी, 2016 तक) में दुकानवार योग करके गत वर्ष प्राप्त दुकानवार आवेदन पत्र प्राप्ति की संख्या के आधार पर इस प्रतिबन्ध के साथ कि बेस राजस्व से कम निर्धारण नहीं किया जायेगा के अधीन निम्नलिखित सूत्र द्वारा आगणित गुणांक से गुणा कर के राजस्व निर्धारित किया जायेगा :—

विदेशी मदिरा दुकानों हेतु:— 1+(1.834) ✓ application / 100

देशी मदिरा दुकानों हेतु:— 1.13+(1.834) ✓ application / 100

2. मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:—

वर्ष 2016–17 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम-1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के कमशः 8 प्रतिशत के बराबर निकटतम रु० 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रु० 25.00 लाख से अधिक लाईसेंस फीस होने की स्थिति में रु० 25.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2016 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट का विवरण निम्नवत होगा।

(एक) देशी मदिरा/विदेशी मदिरा— दुकान के राजस्व का 2 (दो) प्रतिशत।

3. मदिरा दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :—

उपरोक्त नियम-1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से नियम-2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित की जायेगी। निकासी हेतु वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

4. मदिरा के 25 प्रतिशत अतिरिक्त एवं उससे अधिक उठान पर देय शुल्क :—

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के 25 प्रतिशत प्रतिमाह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का 50 प्रतिशत लिया जायेगा एवं प्रति माह 25 प्रतिशत से अधिक 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का 30 प्रतिशत लिया जायेगा 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का 20 प्रतिशत लिया जायेगा।

परन्तु प्रतिबंध यह है कि यदि यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

देशी एवं विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय मासिक राशि से अधिक उठान हेतु अनुज्ञापी अपना आवेदन सम्बन्धित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देंगे। सम्बन्धित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक तत्काल अपनी आख्या जिला आबकारी अधिकारी को देंगे। जिला आबकारी अधिकारी तत्समय ही अनुज्ञापी के आवेदन को लिखित रूप में स्वीकृत/अस्वीकृत करेंगे। यदि कोई अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी के आदेशों से सहमत न हो तो वह आबकारी आयुक्त को अपील कर सकता है।

5. देशी एवं विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन:-

(एक) दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। लाटरी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया विगत वर्षों की भाँति अथवा ई-लाटरी द्वारा जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विदेशी मंदिरा दुकान हेतु रु0 22000/ एवं देशी मंदिरा दुकान हेतु रु0 18,000/- की फीस उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन को—आपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन—पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी।

दुकान जिस जिले के अन्तर्गत आती हो, उसी जिले के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दुकान आवंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। पूरे राज्य में एक आवेदक को एक से अधिक देशी/विदेशी मंदिरा/बीयर की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। आवेदक जनपद की सर्वाधिक राजस्व वाली देशी/विदेशी मंदिरा की दुकान के अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जमा कर जनपद की किसी भी दुकान पर आवेदन कर सकता है। देशी/विदेशी मंदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

(दो) उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है, तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये राज्य के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जायेंगे। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2016–17 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है, तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर ही चलायी जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मंदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है, तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो, तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

6. प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापन:-

प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ मसूरी व रुद्रपुर में Mild Drink की उपलब्धता हेतु उक्त स्थानों में एक—एक दुकानों का सृजन किया जा चुका है। आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से इसी व्यवस्था के तहत कोई भी जनपद बीयर की नई दुकाने खोल सकते हैं। प्रदेश में बीयर की समस्त दुकानों का लाटरी पद्धति से व्यवस्थापन किया जायेगा। प्रदेश में बीयर की समस्त दुकानों पर बीयर के अतिरिक्त वाईन तथा आर०टी०डी० की बिक्री सील्ड बोतलों में अनुमन्य होगी। प्रदेश में बीयर की समस्त दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क रु0 1.50 लाख प्रति दुकान नियत किया जाता है।

पात्रता:- आवेदन की पात्रता की शर्तें दुकान का व्यवस्थापन/हैसियत प्रमाण पत्र व आवेदन शुल्क का निर्धारण देशी/विदेशी मंदिरा दुकानों के समान रहेंगी।

7. प्रदेश में बीयर के निर्माता को आवेदन करने पर प्रत्येक जनपद में अपने उत्पादों की बिक्री हेतु एक आउटलेट खोलने की सुविधा दी जायेगी। आउटलेट खोलने का अनुज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। आउटलेट का अनुज्ञापन शुल्क रु0 1.50 लाख प्रति आउटलेट नियत किया जाता है।

8. राज्य के कृषि उत्पादों यथा आलू, मन्डुवा, झंगोरा एवं फलोत्पादों से निर्मित वाईन/बीयर इत्यादि तथा राज्य में स्थिति ब्रुवरीज/वाईनरीज हेतु उनकी श्रेणी के अनुसार 10 प्रतिशत बिक्री आरक्षित रहेगी।

9. प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्री:-

प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा की रु0 300 प्रति बोतल ई0डी0पी से अधिक ई0डी0पी की बोतलों, वाईन एवं समुद्रपार आयतित बीयर की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी तथा इनका अनुज्ञापन शुल्क रु0 1.50 लाख वर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगा। मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर को निम्न एम0जी0डी0 दर पर एफ0एल0-2 से मदिरा का उठान करना होगा :—

क्र० सं०	एक्स आसवनी का मूल्य	एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल
1	300.01 से 400 तक एक्स आसवनी मूल्य	रु0 363/-
2	400 से अधिक	रु0 413/-

समुद्रपार आयतित बीयर/वाईन पर शुल्क एफ0एल0-5डी के समान देय होंगे।

10. देशी मदिरा की दुकानों में बीयर की बिक्री:-

राज्य में देशी मदिरा की दुकानों में बीयर बिक्री की अनुमति दी जायेगी।

11. देशी मदिरा की दुकानों में मात्र 36 प्रतिशत v/v मसालेदार शाराब की आपूर्ति ही की जायेगी।

12. मदिरा दुकानों की बिक्री की समय अवधि:-

राज्य में देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 तक रहेगा परन्तु जनपद हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर की सीमाओं में स्थित ऐसी दुकानें, जो दूसरे राज्य की सीमा से 10 कि0मी0 के अन्दर अवस्थित हों, के बन्द होने का अधिकतम समय रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा।

13. अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजन:-

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयताओं के विरुद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

14. विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था :-

विदेशी मदिरा फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ0एल0-5 डी0 लाईसेंसी द्वारा दुकान की चौहदादी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु सुविधानुसार एफ0एल0-5 ई0 लाईसेंस लेना होगा। एफ0एल0-5 ई0 की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 5 प्रतिशत के बराबर होगी।

15. मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में:-

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापियों को हस्तान्तरित हो सकता है परन्तु नये अनुज्ञापियों को देय एम0जी0डी0 जमा करना होगा जो माह में तय एम0एम0जी0डी0 में सम्मिलित होगा यदि नया अनुज्ञापी अवशेष स्टॉक को हस्तान्तरित नहीं करना चाहता है, तो अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण The uttrakhand Excise (Sattlement of licences for retail sale country liquor/ foreign liquor/beer rule, 2001) के अनुसार किये जायेंगे।

16. जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें:-

सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगे;

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) The Uttrakhand number and location of excise shops rules, 1968 एवं समय-समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियम/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी।

17. किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करना:-

(1) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है; परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

(2) यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो, तो इस सम्बन्ध में भी सम्बन्धित जिलाधिकारी निर्णय ले सकेंगे।

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाये कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

18. पात्रता :-

देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्त अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी परन्तु आवेदन के समय आवेदन पत्र के साथ मात्र व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रपत्र व अर्नेस्ट मनी के ड्राफ्ट/विवरण लगाना होगा, अन्य प्रपत्र देशी/विदेशी/बीयर की दुकान के आवंटन की तिथि से 20 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यदि अन्य प्रपत्र 20 दिवस के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो दुकान का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। व्यक्ति के व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:- 1. पासपोर्ट 2. स्थायी आयकर लेखा (PAN) संख्या 3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र 4. ड्राइविंग लाईसेंस 5. फोटो युक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका 6. आधार कार्ड।

(एक) परन्तु यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 20 दिनों के अन्दर चरित्र प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(दो) यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 20 दिनों के अन्दर वांछित हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(1) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी।

(2) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

(3) हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिशुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

(तीन) दुकान आवंटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करता है, तो इस दशा में अनुज्ञापी को आवंटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The uttrakhand Excise (Settlement of licences for retail sale country liquor/ foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा की गई समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा।

(चार) आवेदक का स्थाई रूप से जनपद का निवासी होना अनिवार्य होगा, अतः दुकान आवंटित होने के 20 दिनों के अन्दर स्थाई निवास प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(पांच) आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्त पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझेदार को समिलित करने की अनुमति लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी।

(छ:) यदि आवेदक अनुज्ञापी के तौर पर चयनित होता है, तो उसे मदिरा दुकान का अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करना होगा एवं प्रतिभूति की धनराशि जो कि एक माह के न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के बराबर हो, को तीस दिवस के भीतर एवं एक माह के बराबर नकद अथवा बैंक गारण्टी की धनराशि पैंतालिस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

(सात) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में 75 प्रतिशत विक्रेता उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी को ही नियुक्त किया जायेगा।

19. देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर:-

(एक) देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा तथा विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगी:-

(क) विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ₹0डी0पी० वार निम्नवत् रहेगी:-

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति एल०
1	रु0 40.00 तक	रु0 148
2	रु0 40.01 से रु0 60.00 तक	रु0 159
3	रु0 60.01 से रु0 80.00 तक	रु0 179
4	रु0 80.01 से रु0 100.00 तक	रु0 258
5	रु0 100.01 से रु0 200.00 तक	रु0 269
6	रु0 200.01 से रु0 300.00 तक	रु0 308
7	रु0 300.01 से रु0 400.00 तक	रु 370
8	रु0 400 से अधिक	रु0 445

(ख) अन्य मामलों में विदेशी मदिरा की उत्पाद शुल्क की दर रु0 155 प्रति अल्कोहलिक लीटर रहेगी।

(दो) 5 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बीयर (Mild Beer) पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रु0 21/- प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बीयर (Strong Beer) एवं वाईन पर रु0 42/- प्रति बल्क लीटर रहेगी।

20. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना:-

(एक) देशी मदिरा की 36%v/v पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी रु0 200/- प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जाती है।

(दो) विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी (एम०जी०डी०) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं :—

क्र०सं०	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम०जी०डी० (प्रति बोतल)
1.	रु0 40.00 तक	रु0 115.00
2.	रु0 40.01 से रु0 60.00 तक	रु0 127.00
3.	रु0 60.01 से रु0 80.00 तक	रु0 145.00
4.	रु0 80.01 से रु0 100.00 तक	रु0 167.00
5.	रु0 100.01 से रु0 200.00 तक	रु0 196.00
6.	रु0 200.01 से रु0 300.00 तक	रु0 215.00
7.	रु0 300.01 से रु0 400.00 तक	रु0 242.00
8.	रु0 400 से अधिक	रु0 275.00

(तीन) अद्वा तथा पौवा की प्रति पेटी ई०डी०पी० बोतल की तुलना में क्रमशः रु0 25/- तथा रु0 50/- की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्वा एवं पौवा पर निर्धारित एम०जी०डी० की दर बोतल की ई०डी०पी० के आधार पर समान रखी जायेंगी।

21. सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ०एल०-२ए अनुज्ञापन शुल्क, ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें:-

(एक) वर्ष 2016-17 के लिए एफ०एल०-२ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रु0 20000/- लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(दो) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी:-

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई०डी०पी० मूल्य (प्रति बोतल) वार निर्धारित किया जायेगा:-

क्र० सं०	ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0
1	रु0 40.00 तक	रु0 148
2	रु0 40.01 से रु0 60.00 तक	रु0 159
3	रु0 60.01 से रु0 80.00 तक	रु0 179
4	रु0 80.01 से रु0 100.00 तक	रु0 258
5	रु0 100.01 से रु0 200.00 तक	रु0 269
6	रु0 200.01 से रु0 300.00 तक	रु0 308
7	रु0 300.01 से रु0 400.00 तक	रु0 370
8	रु0 400 से अधिक	रु0 445

(ब) रियायती रम रु0 62.00 प्रति ए0एल0।

(स) बीयर एवं वाईन एफ0एल0-9 के अन्तर्गत एफ0एल0-5डी/5बी के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(तीन) असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

क्र०सं०	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल)
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बीयर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रु0 80—तक ई0डी0पी0 रु0 80 से अधिक	रु0 100.00 रु0 150.00
(2)	रियायती रम	रु0 60.00
(3)	बीयर / वाईन / ब्रीजर	एफ0एल0-5डी के समान दर।

आई0टी0बी0पी0 / सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को (विदेशी मदिरा विहस्की/जिन/ब्राण्डी/बीयर आदि) की सुविधा:- आई0टी0बी0पी0 / सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0 बी0) को उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सख्तां 989/XXIII/2011/43/VIP/2002 दिनांक 07.12.2011 के उत्तराखण्ड विक्रत स्प्रिट को छोड़कर विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री (संशोधन) नियमावली-2011 के अन्तर्गत को अनुज्ञापन दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

22. मदिरा का विक्रय मूल्य:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 की भाँति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा। विदेशी मदिरा (देशी मदिरा/बीयर/वाईन को छोड़कर) का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से निर्धारित किया जायेगा :-

क्र०सं०	विवरण
1	ई0डी0पी0
2	निर्यात शुल्क
3	आयात शुल्क
4	राज्य में रिश्त एफ0एल0-3/3ए / एफ0एल0एम0-3 का बॉटलिंग शुल्क का 50% / C.S.T
5	बाण्ड व्यय

6	उत्पाद शुल्क
	योग
7	वाणिज्य कर
8	होलोग्राम शुल्क
	एफ०एल०-२ पर लागत मूल्य
9	टी०सी०एस०
10	एम०जी०डी०
	लागत मूल्य
11	फुटकर विक्रेता का लाभांश
	अधिकतम बिक्री मूल्य

(एक) प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री पर क्रेता द्वारा मांगे जाने पर रसीद देना अनिवार्य होगा।

(दो) उन कम्पनियों, जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही है, वही ब्राण्डस उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे, जिनकी बिक्री दिल्ली राज्य में की जा रही हो, उनकी ई०डी०पी० दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई०डी०पी० से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्राण्ड जिनकी ई०डी०पी० दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई०डी०पी० से कम अथवा समान होगी, की उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। आपूर्तिकर्ता ब्राण्ड की दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ब्राण्ड की ई०डी०पी० वर्ष के दौरान बढ़ने पर उत्तराखण्ड राज्य में भी ई०डी०पी० बढ़ाकर फुटकर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसा वर्ष में एक बार ही किया जा सकेगा। समतुल्य ब्राण्डस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त किया जायेगा। समतुल्य की परिभाषा इस प्रकार परिभाषित होगी:- जो कम्पनी दिल्ली राज्य में अपने ब्राण्ड बेच रही हैं, उसके उन सभी ब्राण्डों की ई०डी०पी० का निर्धारण दिल्ली राज्य में निर्धारित की गयी ई०डी०पी० के बराबर अथवा उससे कम रखने पर अनुमोदित की जायेंगी एवं कम्पनी के वे ब्राण्ड जो दिल्ली राज्य में नहीं बेचे जा रहे हैं, परन्तु उत्तराखण्ड राज्य में बेचे जा रहे हैं, उनकी ई०डी०पी० का निर्धारण अन्य राज्यों से तुलना करने के पश्चात् किया जायेगा। यदि अन्य राज्य में भी प्रस्तुत ब्राण्डों की बिक्री नहीं की जा रही हैं, तो कम्पनी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि यदि ऐसे ब्राण्ड जो केवल उत्तराखण्ड में बेचे जा रहे हैं, यदि उनको अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई०डी०पी० उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य में बेचे जाने वाले प्रत्येक ब्राण्ड की तुलना दिल्ली राज्य अथवा अन्य राज्यों में बेचे जा रहे ब्राण्ड के मूल नाम से की जायेगी।

उदाहरणार्थः— यदि दिल्ली राज्य में कोई ब्राण्ड “XXX Classic whisky” के नाम से बेचा जा रहा है, तो उसका मूल नाम “XXX” माना जायेगा। एवम् उसी से उसकी ई०डी०पी० की तुलना की जायेगी। ओवरसीज लिकर की ई०डी०पी० एक्स-कस्टम बॉण्ड मूल्य मानी जायेगी।

उपरोक्त के होते हुये भी अद्वा तथा पौवा की प्रति पेटी ई०डी०पी० बोतल की तुलना में कमशः रु० 25/- तथा रु० 50/- अधिक नियत करने की अनुमति दी जा सकेगी, जो आपूर्तक दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, वे अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई०डी०पी० से अधिक नहीं रख सकेंगे, उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई०डी०पी० घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई०डी०पी० घोषित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई०डी०पी० पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई०डी०पी० भी जमा करवाई जायेगी एवं उक्त के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(तीन) प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मंदिरा/बीयर की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम०आर०पी०) से अधिक पर बिक्री किये/पाये जाने पर निम्न प्रश्नमन आरोपित किया जायेगा:-

1. प्रथम उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माने की राशि ।
 2. द्वितीय उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से एक प्रतिशत की राशि जब्त की जायेगी ।
 3. तृतीय उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से दो प्रतिशत की राशि जब्त की जायेगी ।
 4. चतुर्थ या उससे अधिक प्रत्येक उल्लंघन पर अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से तीन प्रतिशत की राशि जब्त की जायेगी ।
23. देशी/विदेशी मंदिरा का आयात:-
देशी मंदिरा प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
24. विदेशी मंदिरा/बीयर/वाईन के थोक (एफ०एल०-२/२बी/२एस/२डब्ल्यू) अनुज्ञापन:-
प्रदेश के समस्त जिलों में एफ०एल०-२ उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड द्वारा खोले जायेंगे तथा सुपर एफ०एल०-२ की व्यवस्था समाप्त की जाती है, किन्तु बोर्ड इसके स्थान पर नियंत्रण कार्यालय खोल सकता है ।
25. बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1.	बीयर	
	(एक) बीयर 650 एम०एल की 12 बोतल अथवा 325 एम० एल० की 24 पैक की पेटी एवं वाईन (750 एम०एल० की 12 बोतल की पेटी) ।	200/-
	(दो) 500 एम०एल० के 24 पैक की पेटी।	310/-
	(तीन) 330 एम०एल० के 24 पैक की पेटी।	200/-
2.	वाईन 750 एम०एल० की 12 बोतल की पेटी	200/-
3.	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रेवरेज के 275 एम०एल० के 24 पैक की पेटी	200/-

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेसमेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरोक्त निकासी की अनुमति देंगे ।

26. राज्य के बाहर के विदेशी मंदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री:-

राज्य के बाहर के विदेशी मंदिरा निर्माता या वे ईकाई जिनको सम्बन्धित ब्राण्डस के वैधानिक अधिकार/स्वामित्व प्राप्त है अथवा विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं को उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मंदिरा के ब्राण्डस उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड लाईसेंसों एवं एफ०एल०-२ के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार होगा। बाण्ड लाईसेंसों की फीस वर्ष 2016-17 में निम्नानुसार होगी:-

1	बी०डब्लू०एफ०एल०-२ बाण्ड (विदेशी मंदिरा बीयर एवं वाईन)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये
	(1) 25,000 पेटियों तक	रु० 6.00 लाख
	(2) 25,001 से 50,000 पेटियों तक	रु० 10.00 लाख
	(3) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	रु० 15.00 लाख
	(4) 1,00,001 पेटियों से 5,00,000 पेटियों तक	रु० 20.00 लाख

	(5) 5,00,001 पेटियों से 10,00,000 पेटियों तक (6) 10,00,000 पेटियों से अधिक	रु0 25.00 लाख रु0 35.00 लाख
2	(क) बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी बाण्ड (केवल बीयर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए। (1) 50,000 पेटियों तक (2) 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक (3) 1,00,001 पेटियों से 3,00,000 पेटियों तक (6) 3,00,001 पेटियों से अधिक (ख)बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी(आई) केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए (1) 1000 पेटियों की बिक्री तक (2) 1000 पेटी से अधिक	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रु0 8.00 लाख रु0 14.00 लाख रु019.00 लाख रु0 24.00 लाख रु0 15 हजार प्रत्येक 100 पेटी पर रु0 1500/- अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
3	बी0डब्लू0एफ0एल0–2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये) (1) 100 पेटियों की बिक्री तक (2) 100 पेटी से ऊपर।	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रु0 15 हजार मात्र प्रत्येक 50 पेटी पर रु0 7500/- अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।
4	बी0डब्लू0एफ0एल–2डब्लू बाण्ड (केवल वाईन के लिये)	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रु0 12 हजार मात्र
5	एफ0एल0–1(प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादों को थोक में एफ0एल0–2 को बेचने हेतु लाईसेंस) (1) 12,500 पेटियों तक (2) 12,501 से 25,000 पेटियों तक (3) 25,000 पेटियों से अधिक पर	वर्ष या वर्ष के भाग के लिये रु0 60 हजार रु0 1.20 लाख रु0 5.00 लाख

प्रदेश से बाहर के विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्ल्यू0 एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्ल्यू की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिट्स (कम्पनियों) की मदिरा/बीयर आयात किये जाने पर प्रति यूनिट (कम्पनियों) से मदिरा आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0 डब्ल्यू0 एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्ल्यू की सामान्य लाईसेंस फीस के 25 प्रतिशत

अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिट्स (कम्पनियों) की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

(1) समुद्रपार आयतित मदिरा (overseas liquor) हेतु बाण्ड अनुज्ञापन के अनुज्ञापन दिये जायेंगे। बाण्ड (BWFL-2 (O)) का अनुज्ञापन शुल्क रूपये 6,00,000/- (रूपये छ: लाख) व लेबल पंजीकरण शुल्क इकाई द्वारा समस्त लेबलों हेतु रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) होगा। यह बाण्ड अनुज्ञापन उन व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को दिये जायेंगे, जिनके पास कस्टम बाण्डेड वेयर हाउस का अनुज्ञापन होगा। अनुज्ञापनधारक समुद्रपार विदेशी मदिरा का आयात व संचय “समुद्रपार विदेशी मदिरा नियमावली के अनुसार करेगा” तथा प्रदेश में स्थित समस्त फुटकर अनुज्ञापी उपरोक्त बाण्ड इकाई से ही जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत परमिट के आधार पर मदिरा का उठान करेंगे।

(2) भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कस्टम डयूटी फी परमिट धारकों को सीधे डयूटी फी कस्टम से मदिरा आयात की अनुमति प्रदान की जायेगी।

27. लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः-

(एक) विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रु0 22,000/- (रूपये बाईस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(दो) बीयर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक ब्रेवरेज के लेबिलों के अनुमोदन के लिए धारितावार प्रति लेबल प्रति वर्ष रु0 15000/- (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

(तीन) वाईन हेतु 20,000/- रूपये (बीस हजार रूपये) इकाई द्वारा समस्त लेबिलों हेतु पंजीकरण शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें सिविल तथा सी०एस०डी० आपूर्ति दोनों पर लागू होगी।

28. होटल बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:-

होटल बार लाईसेंस एफ०एल०-६(समिश्र)बार की लाईसेंस फीस होटल के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः-

क्र0 सं0	एफ०एल०-६(समिश्र) अनुज्ञापन कमरों की संख्या के आधार पर वर्ष या वर्ष के भाग हेतु	धनराशि
1.	20 कमरों तक	रु0 2.50 लाख
2.	20 कमरों से अधिक किन्तु 60 से अनधिक तक	रु0 5 लाख
3.	60 कमरों से अधिक	रु0 8 लाख

29. रेस्त्रां बार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती हैः-

क्र0 सं0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (रु0 में)
1.	रेस्टोरेन्ट बार	रु0 2 लाख
2.	बीयर बार (1) रेगुलर बीयर बार (2) सीजनल बीयर बार	रु0 30 हजार रु0 15 हजार

3.	क्लब बार (1) क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए) (4) राजकीय कार्मिकों हेतु प्रदत्त क्लब बार अनुज्ञापन	रु0 1.20 लाख रु0 1.80 लाख रु0 3 लाख रु0 25 हजार
4.	ओकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन) होटल/वैडिंग प्लाइन्ट/रेस्टोरेंट	रु0 5 हजार मात्र
	उक्त के अतिरिक्त	रु0 2 हजार मात्र

गैर-होटल बार लाईसेन्स धारी प्राइवेट व्यक्तियों को बैंकवेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रु0 2000 (दो हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा।

ड्राउट बीयर की अनुमति बारों/सैन्य कैन्टीनों में पूर्ववत् दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500 एम0एल0 केन बीयर की बिक्री की जा सकेगी।

30. बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी:-

एफ0एल0-2 से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगी:-

क्र०सं०	एक्स आसवनी मूल्य	एम0जी0डी0 की दर (प्रति बोतल)
1.	रु0 60.01 से रु0 80.00 तक	रु0 217.00
2	रु0 80.01 से रु0 100.00 तक	रु0 250.00
3.	रु0 100.01 से रु0 200.00 तक	रु0 294.00
4	रु0 200.01 से रु0 300.00 तक	रु0 323.00
5	रु0 300.01 से रु0 400.00 तक	रु0 363.00
6.	रु0 400 से अधिक	रु0 413.00
7	बीयर/ब्रीजर के 500 एम0एल0, 330 एम0एल0, 325 एम0एल0 एवं 275 एम0एल0 के पैक, ओवरसीज लिकर के 50 एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक	रु0 10/- प्रति पैक

(अ) बारों में उठान के सापेक्ष एम0जी0डी0 निम्नानुसार ली जायेगी:-

1	3000 बोतल तक	एम0जी0डी0 उपरोक्तानुसार ली जायेगी।
2	3001 से 5000 बोतल तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 10 प्रतिशत वृद्धि कर के निकासी दी जायेगी।
3	5001 से 10000 बोतलों तक	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 20 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।
4	10000 से अधिक बोतलों पर	बारों को तय प्रति बोतल एम0जी0डी0 पर 30 प्रतिशत वृद्धि कर निकासी दी जायेगी।

(ब) होटल बारों को कमरों मे मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा दस हजार रु० 10000/- (रु० दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा।

31. होटलों एवं रेस्ट्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हता:-

(1) ऐसे होटलों एवं रेस्ट्राओं को बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले उससे अधिक हो।

किसी भी होटल/रेस्ट्रांबार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष मे पके हुये भोजन की बिक्री रु० 5.50 लाख अथवा लाख से कम रही हो, का लाईसेन्स नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

(2) एफ०एल०-६(समिश्र)/७ए/७बी/७सी के बार आवेदन हेतु आवेदक को रु० 50 हजार बैंक ड्राफ्ट के रूप मे आवेदन शुल्क जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रूत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर रु० 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेन्स फीस के अतिरिक्त होगी।

32. प्रदेश में स्थित चार धाम (गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ) के यात्रा मार्गों एवं अधिसूचित स्थलों में कोई बार का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अन्य मानक बार/बीयर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

33. बीयर एवं वाईन बार/सीजनल बीयर एवं वाईन बार लाईसेन्स:-

उन होटलों एवं रेस्ट्राओं, जिनकी विगत वर्ष में या आवेदन किये जाने की तिथि तक पके हुए भोजन की बिक्री रु० 3.00 लाख वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रु० 30,000 प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बीयर एवं वाईन बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा।

सीजनल पर्यटक स्थलों (हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर को छोड़कर) के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे, सीजनल बार के लिये जनपद स्तर पर निम्नवत् अनुज्ञापन समीति गठित की जायेगी:-

जिलाधिकारी—

अध्यक्ष।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक — सदस्य।

जिला पर्यटन अधिकारी—

सदस्य।

जिला आबकारी अधिकारी—

सदस्य/सचिव।

उक्त अनुज्ञापन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार-विमर्श कर एक सप्ताह के भीतर अनुज्ञापन की संस्तुति के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकृत कर जारी करेंगे। उक्त बारों को मदिरा की आपूर्ति निकटतम एफ०एल०-५डी द्वारा की जायेगी, जिसका निर्धारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा मदिरा परिवहन पास अनुज्ञापी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जायेगा। उक्त बारों का अनुज्ञापन शुल्क एक लाख प्रति छः माह हेतु निर्धारित होगा एवं सीजनल बीयर एवं वाईन बार हेतु लाईसेन्स फीस, बीयर बार हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस की आधी अर्थात् रु० 15 हजार होगी। बीयर बार पर वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

34. आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना:-

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी:-

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था वह आसवनी स्वंय करेगी। ग्रेनबेर्स्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईक्रो पब ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के आधीन जारी किये जायेंगे।

35. बोतल भराई अनुज्ञापन एफ०एल०-३ए एवं एफ० एल०एम०-३ हेतु बॉटलिंग फीस:-

क्षिस्की, ब्राणडी, रम व जिन की भराई हेतु एफ०एल०-३ए लाईसेन्स के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ०एल०एम०-३ के समान लाईसेन्स फीस देय होगी।

परन्तु कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज पर बाटलिंग फीस एवं लाईसेंस फीस बीयर/ब्रीजर पर निर्धारित बाटलिंग एवं लाईसेंस फीस के समान होगी।

36. ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है:-
- (एक) अधिष्ठापित क्षमता 5000 किलो लीटर तक रु0 15 हजार
 - (दो) अधिष्ठापित क्षमता 5001 से 10,000 किलो लीटर तक रु0 20 हजार
 - (तीन) अधिष्ठापित क्षमता 10000 किलो लीटर से अधिक पर रु0 2 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

37. एफ0एल0एम0-3 की लाईसेंस शुल्क की दरें निम्नानुसार होगी:-

क्र० सं०	विनिर्माणशाला की भराई क्षमता	लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)
1.	पांच लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रु0 6 लाख मात्र
2.	पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रु0 12 लाख मात्र
3.	दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रु0 18 लाख मात्र
4.	पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रु0 35 लाख मात्र
5.	पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रु0 58 लाख मात्र
6.	पचास लाख से अधिक परन्तु पिंचहत्तर लाख बोतल (750 एम0एल0) तक।	रु0 75 लाख मात्र
7.	पिंचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750 एम0एल0) तक।	रु0 98 लाख मात्र
8.	एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड़ पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रु0 1 करोड़ 15 लाख मात्र
9.	एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक बोतल (750 एम0एल0) तक।	रु0 1 करोड़ 55 लाख मात्र

38. विदेशी मंदिरा की बोतल भराई हेतु बाटलिंग फीस:-

एफ0एल0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को वर्ष के लिए न्यूनतम रु0 1 लाख के अधीन बॉटलिंग फीस राज्य में बिक्री हेतु रु0 10/- प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रु0 6/-प्रति ए0एल0 दरों पर विदेशी मंदिरा की भराई पर देय होगी।

39. एफ0एल0-3 ए व एफ0एल0एम0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत देय बाटलिंग फीस:-

एफ0एल0-3 ए के अन्तर्गत बाटलिंग व एफ0एल0एम0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0-3बी में बाटलिंग अनुज्ञापन में वर्ष के लिए न्यूनतम रु0 1 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु रु0 15/-प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रु0 6/-प्रति ए0एल0 दरों पर विदेशी मंदिरा की भराई पर देय होगी।

40. एफ0एल0-3 एवं एफ0 एल0-3 ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत बीयर/ब्रीजर पर देय बाटलिंग फीस:-

एफ0एल0-3 एवं एफ0एल0-3 ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रु0 1,25,000/- (रु0 एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के अधीन बीयर पर बाटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र० सं०	एफ0एल0-3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0-3 ए हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0-3 ए हेतु लाईसेंस फीस
----------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1	रु0 1.15 प्रति ब०ली०	रु0 1.15 प्रति ब०ली०	रु0 0.70 प्रति ब०ली०
---	----------------------	----------------------	----------------------

41. बीयर के निर्यात पर बाटलिंग / लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र० सं०	एफ०एल०-३ हेतु बाटलिंग फीस	एफ०एल०-३ ए हेतु बाटलिंग फीस	एफ०एल०-३ए हेतु लाईसेंस फीस
1	रु0 1.07 प्रति ब०ली०	रु0 1.07 प्रति ब०ली०	रु0 0.46 प्रति ब०ली०

42. ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग / लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र० सं०	एफ०एल०-३ ए हेतु	
	बाटलिंग फीस	लाईसेंस फीस
1	रु0 1.26 प्रति ब०ली०	रु0 0.86 प्रति ब०ली०

43. राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्था:-

जिलों में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी०एल०-२ अनुज्ञापन अन्तर्गत थोक बिक्री के बंधित गोदाम (Bonded Warehouse) प्रत्येक जिले में राज्य की चारों आसवनियों द्वारा खोले जायेंगे, आबकारी आयुक्त प्रत्येक आसवनी की निकासी इस प्रतिबंध के साथ सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी आसवनी 5.42 लाख बल्क लीटर प्रतिमाह से अधिक की बिक्री न हो।

राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु न्यूनतम रु0 5 लाख के अधीन रहते हुए 1 रुपये 40 पैसा प्रति बल्क लीटर लाईसेंस फीस देय होगी। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क रु0 1 लाख 75 हजार मात्र निर्धारित किया जाता है। आसवनियों के पी०डी०-२ लाईसेंस की लाईसेंस फीस रु0 115/- प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है।

44. देशी मदिरा में हाई सिक्योरिटी (alumunium cap with plastic tempar proof ring with holographic printing on top) पिलफर प्रूफ ढक्कन ही प्रयोग में लाये जायेंगे।

45. राज्य में स्थापित देशी मदिरा की आपूर्तक आसवनी को देशी मदिरा में उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित 300 ग्राम फलों का एक्सट्रेक्ट प्रति बल्क लीटर मिलाना अनिवार्य होगा। फलों का कथा राज्य की किसी भी कृषि उत्पादन मण्डी समिति से किया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित फल उपलब्ध न होने की दशा में आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति से फलों की आपूर्ति राज्य की कृषि उत्पादन मण्डी समिति में उपलब्ध अन्य राज्यों के उत्पादित फलों से भी की जा सकेगी। प्रदेश में फलों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में साक्ष्य/प्रमाण-पत्र आसवनियों द्वारा सम्बन्धित प्रभारी आबकारी निरीक्षक को तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना होगा। प्रभारी आबकारी निरीक्षक एक प्रति जिला आबकारी अधिकारी को तथा एक प्रति आबकारी आयुक्त को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करेगा। आसवनियों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह प्रत्येक माह निकासी की गयी देशी शराब की मात्रा के साथ-साथ मदिरा में मिलाने हेतु क्रय किये गये फलों का विवरण भी मय रसीद के सम्बन्धित प्रभारी आबकारी निरीक्षक को उपलब्ध करायेगी। प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा इनका गहनता से परीक्षण करने के उपरान्त इसकी सारांश मासिक रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी आयुक्त को प्रत्येक आगामी माह की 05 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

46. देशी मदिरा के निर्यात पर कोई भी निर्यात शुल्क देय नहीं होगा।

47. राज्य में स्थित समस्त अर्द्ध सैनिक बलों को एफ०एल०-९/९ए की सुविधा अनुमन्य होगी।

48. आबकारी राजस्व की सुरक्षा तथा मदिरा के पारदर्शी पारेषण हेतु ऑन लाईन सूचना प्रौद्योगिकी की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु Open Tender आमंत्रित किये जायेंगे।

49. सड़क सुरक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से मदिरा की दुकानों को हटाये जाने हेतु दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं राजस्व के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में अन्य विकल्पों पर विचार किया जायेगा।

50. अन्य व्यवस्थायें वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(डॉ रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या ॥४०/XXIII/2016/04(01)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माओ मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, जनपद—हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियाँ, प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4—सुभाष रोड़ देहरादून तथा 100 प्रतियाँ आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाइट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी०क०संत)
अपर सचिव